संख्या-16/2016/क0नि0-4-460/11-2016-400(83)/2000

प्रेषक,

हरेन्द्र वीर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 30 जून, 2016

विषयः-जनपद नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु बजट 2016-17 से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- स0नि0-नोएडा-03-(ट)/का0भ0-निर्माण/2016-17/82/वाणिज्य कर, दिनांक- 12 मई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन के आधार पर रूपये 4285.02 लाख (रूपये बयालिस करोड़ पिच्चासी लाख दो हजार मात्र) की पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट से रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल उ0प्र0 निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

1. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
2. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायगा कि प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित ड्रांइग/डिजायन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा इस विस्तृत पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. आगणन में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
7. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयुक्त, वाणिज्य कर की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10.. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
11. परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1308-जनपद नोएडा में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
हरेन्द्र वीर सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या-16/2016/क0नि0-4-460(1)/11-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहबाद।
2- महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, नोएडा इकाई-3, नोएडा।
6- गार्ड बुक/समीक्षा अधिकारी(बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।